

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई-5 पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 714

/स्था/प्रनिबो/2016


भोपाल, दिनांक

01-6-16

कार्यालय आदेश

“ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” अर्न्तगत प्राप्त सुझावों के तारतम्य में बोर्ड द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 863 एवं क्रमांक 867 दिनांक 20 अप्रैल 2015 के माध्यम से हरी श्रेणी के उद्योगों के सम्मति एवं नवीनीकरण प्रकरणों के निराकरण के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण की अनिवार्यता समाप्त की गई है। हरी श्रेणी उद्योगों का निरीक्षण उद्योग से प्रदूषण संबंधी शिकायत/पर्यावरणीय अधिनियमों के अनुपालन की स्थिति पर किया जायेगा।

नारंगी एवं लाल श्रेणी के उद्योगों का रेण्डम इन्सपेक्शन कम्प्यूटराईज्ड Risk Assessment के तहत किया जायेगा, जो उद्योग की श्रेणी, ऑनलाईन/Paid सेम्पल रिजल्ट के परिप्रेक्ष्य में, अथवा पूर्व इन्सपेक्शन के दौरान जारी निर्देशों के अनुपालन पर आधारित होगा।


(E O मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0क्रमांक
प्रतिलिपि :-

/स्था/प्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक

- 1 स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2 उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3 प्रबंध संचालक, ट्राईफेक, म.प्र.शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4 सुश्री नेहा पंडित, को-ऑर्डिनेटर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 5 समस्त यूनिट हेड, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 6 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 7 जनसम्पर्क अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया उपरोक्त आदेश की सूचना, प्रचार-प्रसार के माध्यम से सर्वसंबंधितों को पहुंचायें।
- 8 आईटी शाखा/ऑर्डर बुक/गार्ड नस्ति।